an>

Title: Introduction of the Cow And Other Milch Animals (Prohibition of Slaughter, Cruelty and Other Provisions) Bill, 2015. (motion adopted)

श्री निशिकानत दुबे (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पूरताव करता ढूं कि गाय एवं इसकी संतित और अन्य दुधारू पशुओं के मांस के उपभोग या इसके निर्यात अथवा किसी अन्य पूयोजन के लिए उनके वय का पूरिषेध करने और पशुओं के साथ बस्ती जाने वाली निर्ममता एवं उन्हें दिए जाने वाले आघात, पीड़ा या यातना का निवारण तथा कल्याणकारी उपायों एवं पशुओं की तंदुरुरती सुनिश्चित करने के माध्यम से उनके पूरि मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और उससे संसक्त तथा आनुषंभिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prohibition of slaughter of cow and its progeny and other milch animals for consumption of meat or its export or for any other purpose, cruelty and inflicting of trauma, pain or suffering on animals and for humane approach towards them through welfare measures and the well being of animals and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री निशिकानत दुबे**:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधयेक पुर:स्थापित करता हूं।

15.49 hrs